

(11)

**राजस्थान सरकार**  
**राजस्व विभाग-8**

असस्ता जिता कलेक्टर ।

क्रमांक: ए. 401/राज-6/02


जयपुर, दि 20-2-2002

विषय:— सड़क, नहर आदि के उपयोग में आई गैरवायक भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

व्यक्तिगत जिता कलेक्टरों द्वारा उक्त विषय में अनर्जा जाने वाली प्रक्रिया बाबत निर्देश चाहे गए हैं । इन संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि सरकारी सिवायक, गैर सुमोकिन भूमि, चरगाह भूमि यदि सड़क, नहर आदि निर्माण के उपयोग में आ गई है तो पीछे के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग/निर्माणा विभाग के नाम नामान्तरण दर्ज किया जा सकता है । जहां तक सड़क/नहर निर्माण में यदि छातेदारों/गैर छातेदारों की भूमि सम्मिलित है तो संबंधित छातेदार से इस संबंधित भूमि का सर्वेक्षण एवं यदि छातेदार स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है। तब तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में उरोक्तानुसार भूमि विभागों के नाम दर्ज कर सकते हैं । अतः उरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश अपने अधिनस्थ अधिकारियों को देने का पट्ट करें ।

भवदीय,

  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव निर्माणा विभाग ।
2. शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

  
उप शासन सचिव